न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः- अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्याः- 65/20215
जीसीएमएस नम्बर :-2015/

अनवर हुसैन पिता अलाबैली नीलगर, उम्र वयस्क, निवासी लीगरों की मस्जिद के पास, बाहला, भीलवाड़ा, राजस्थान।

--वादी

-: बनाम :-

1. विमल सागर जैन विद्यालय, पुर रोड़, भीलवाड़ा, राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, भीलवाड़ा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा
4. सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा।

---प्रतिवादीगण

वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती, खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 89, 88, 92(क), 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित-
1. श्री मेहराज अली अभिभाषक वादी।
2. सरकारी पैरोकार अप्रार्थी संख्या 2 व 3

निर्णय दिनांक 15/7/25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.11.2025 को एक वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती, खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 89, 88, 92(क), 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया जो दिनांक 04.11.2025 को वाद पत्र संख्या 65/20215 बउनवानी अनवर हुसैन बनाम विमल सागर जैन विद्यालय वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

बाद तामील अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से दिनांक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर इस आशय का कथन किया कि- वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त भूमि ग्राम पुर, पटवार मण्डल पुर की हाल आराजी नम्बर 9708/7167 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 9710/7189 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा साबिक आराजी नम्बर 6702/3 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा भूमि से निर्मित हुए। वादग्रस्त भूमि दिनांक 16.05.1965 में नामान्तरकरण संख्या 425 से बिलानाम (सिवायचक) घोषित की गई। जिसके निर्णय के विरूद्ध अपील पेश नहीं कर वादी द्वारा

15/7/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रस्तुत वाद मियाद अधिनियम के अर्न्तगत मियाद बाहर होने से बाधित होकर श्रवण योग्य नहीं है।

साबिक आराजी नम्बर 6702/3 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आवंटन आदेश दिनांक 17.08.1971 की पालना में मिसल नम्बर 475/73 दिनांक 17.05.1973 से गैर कृषि प्रयोजनार्थ विद्यालय हेतु विमल सागर जैन विद्यालय पुर रोड़ भीलवाड़ा के नाम आवंटित हुई थी। भूमि गैर कृषिक प्रयोजनार्थ आवंटित होकर मौके तथा राजस्व रेकार्ड में रूपान्तरित हो चुकी है। जिसके विरूद्ध वाद का श्रवणाधिकार मात्र सिविल न्यायालय का है। अतः वादी का वाद विधि से बाधित होने के कारण खारिज योग्य है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(24) में भूमि की परिभाषा में आबादी भूमि को सम्मिलित नहीं किया जाने व वादग्रस्त भूमि के वर्ष 1973 से गैर कृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने व मौके पर उपयोग में आने से वादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर है तथा माननीय न्यायालय को वादग्रस्त भूमि बाबत् वाद का श्रवणाधिकार नहीं होकर वाद का श्रवणाधिकार मात्र सिविल न्यायालय का है।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 5 के अनुसार राजस्व न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता इस वाद में निमित न होकर धारा 9 के प्रावधान अनुसार सिविल न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता का होने से इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 तथा धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 12.05.2025 को विद्धान अभिभाषक वादी को उक्त प्रार्थना पत्र की नकल दिलवाई गई। जवाब प्रार्थना पत्र हेतु आगामी पेशी 22.05.2025 नियत की गई। दिनांक 22.05.2025 को वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया और जवाब हेतु अवसर चाहा गया। न्यायहित में जवाब हेतु अवसर दिया जाकर आगामी पेशी 02.06.2025 नियत की गई। दिनांक 02.06.2025 को भी वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। आगामी नियत पेशी दिनांक 10.06.2025, 18.06.2025, 24.06.2025 को भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। वादी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करके सीधी बहस करने हेतु निवेदन किया। वादी का जवाब बन्द किया जाता है तथा सीधी बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी0पी0सी0 मे वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वादी का वाद बार्ड बाई लॉ (विधि वर्जित) है। वादी ने प्रतिवादी संख्या-1 के रूप में विमल सागर जैन विद्यालय, पुर रोड़, भीलवाड़ा, राजस्थान को पक्षकार संयोजित किया है परन्तु उक्त विद्यालय एक शिक्षण संस्थान है जिसके प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व करने हेतु पक्षकार संयोजित नहीं किया है। प्रोपर

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

पक्षकार के अभाव में वादी का दावा असंयोजन व कुसंयोजन के दोष से ग्रसित है।

सरकारी पैरोकार ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि- वादी ने प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को पक्षकार संयोजित किया है परन्तु वाद संस्थित करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 4 को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 एंव राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के तहत 2 माह की अवधि का नोटिस नहीं दिया गया है जो कि मेण्डेटरी प्रोविजन है। इस प्रकार वादी ने अनिवार्य प्रावधानो की पालना किये बिना ही वाद संस्थित किया है जो विधि वर्जित है।

सरकारी पैरोकार ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि- वादी ने अपने वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 2 राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को तथा प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पक्षकार संयोजित किया है परन्तु वाद संस्थित करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को धारा 80 सी0पी0सी0 के तहत नोटिस नहीं दिया गया है तथा न ही धारा 80(2) सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त नोटिस की छूट हेतु अनुमति चाही गई है। वादी ने अपने वाद पत्र की मद संख्या 7 में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को धारा 80 सीआर.पी.सी. का नोटिस दिनांक 02.09.2015 को देने का कथन किया है तथा मद संख्या 8 में दफा 80(2) सीआर.पी.सी. का अलग से प्रार्थना पत्र पेश करने का तथ्य दर्ज किया है जबकि सीआर.पी.सी. एक फौजदारी विधि है जिसका हस्तगत प्रकरण से कोई संबंध, सरोकार, वास्ता, लेना-देना ही नहीं है। वादी ने दफा 80(2) सीआर.पी.सी. का प्रार्थना पत्र भी पृथक से प्रस्तुत नहीं किया है। वादी का वाद पत्र मिथ्या, भ्रामक व विधि वर्जित व विधि विरूद्ध तथ्यो पर आधारित है जो विधि वर्जित है।

सरकारी पैरोकार ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि की किस्म कृषि भूमि नहीं है। वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिसमें विवादित भूमि की किस्म कृषि भूमि दर्ज हो। विवादित भूमि गैर कृषिक प्रयोजनार्थ विद्यालय हेतु आवंटित हुई थी और मौके पर विमल सागर जैन विद्यायल संचालित है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय हाजा को उक्त वाद श्रवण करने का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है।

सरकारी पैरोकार ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि- वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त भूमि ग्राम पुर, पटवार मण्डल पुर की हाल आराजी नम्बर 9708/7167 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 9710/7189 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा साबिक आराजी नम्बर 6702/3 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा भूमि से निर्मित हुए। वादग्रस्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 425 दिनांक 16.05.1965 में को बिलानाम (सिवायचक) घोषित की गई। जिसके निर्णय के विरूद्ध अपील पेश नहीं की गई। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मियाद अधिनियम के अर्न्तगत मियाद बाहर है।

सरकारी पैरोकार ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि साबिक आराजी नम्बर 6702/3 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आवंटन आदेश दिनांक 17.08.1971 की पालना में मिसल नम्बर 475/73 दिनांक 17.05.1973 से गैर कृषि प्रयोजनार्थ विद्यालय हेतु विमल सागर जैन

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

विद्यालय पुर रोड़ भीलवाड़ा के नाम आवंटित हुई थी। भूमि गैर कृषिक प्रयोजनार्थ आवंटित होकर मौके तथा राजस्व रेकार्ड में रूपान्तरित हो चुकी है। जिसके विरूद्ध वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है, अतः वादी का वाद विधि से बाधित है।

सरकारी पैरोकार ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(24) में भूमि की परिभाषा में आबादी भूमि को सम्मिलित नहीं किया जाने व वादग्रस्त भूमि के वर्ष 1973 से गैर कृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने व मौके पर उपयोग में आने से वादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर है तथा माननीय न्यायालय को वादग्रस्त भूमि बाबत् वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार वादी का वाद क्षेत्राधिकार विहिन होने के कारण विधि वर्जित है।

सरकारी पैरोकार ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि- वादी को वादहेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है। न ही वादी ने अपने वाद पत्र में वादहेतुक का वर्णन किया है। वादहेतुक के अभाव में वादी का वाद पत्र विधि वर्जित है।

सरकारी पैरोकार ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि वादी ने अवधि बाधित दावा पेश किया है। वादी का दावा म्यांद बाहर होने के कारण विधि वर्जित है।

सरकारी पैरोकार ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट तलब की गई थी जो माननीय न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है। मौका रिपोर्ट दिनांकित 10.01.2025 के अनुसार राजस्व ग्राम पुर की आराजी नम्बर 9708/7167 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, 9710/7182 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि विमल सागर जैन विद्यालय के नाम दर्ज रिकार्ड होकर पक्का निर्माण मौके पर मौजूद है। राजस्व ग्राम पुर की आराजी नम्बर 7167, 7189 किता 2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा आराजी नम्बर 6702/3 साबिक रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 425 दिनांक 04.03.1965 से बिलानाम दर्ज हुई। वाद सन् 2015 में बैरून मियाद दर्ज हुआ है। यु.आई.टी. भीलवाड़ा पेराफेरी में होकर नगर निगम भीलवाड़ा के शहरी क्षेत्र में स्थित है। आराजी नम्बर 7167 रकबा 0.4046 हैक्टेयर भूमि नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के नाम दर्ज होकर अपरूव्ड प्लान में कॉलोनी बनी होकर भवन एंव सड़के बनी है। भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ काम आ रही है। आराजी नम्बर 7189 रकबा 0.1517 हैक्टेयर भूमि नगर विकास न्यास के नाम दर्ज रिकार्ड होकर भीलवाड़ा से पुर रोड़ के साथ लम्बी पट्टी के रूप में होकर कुछ में सड़क चौड़ी होने से सड़क एंव शेष में रोड़ के साथ-साथ यु0आई0टी0 भीलवाड़ा द्वारा सक्षम वृक्षारोपण किया हुआ है। भूमि वर्षो से कृषि कार्य में उपयोग नहीं ली गई है। प्रकरण में वादी द्वारा अधिकार अभिलेख खसरा गिरदावरी संलग्न नहीं की गई है, इत्यादि तर्को के आधार पर वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया गया।

विद्धान अभिभाषक वादी ने सरकारी पैरोकार के तर्को का विरोध करते हुए दलील दी गई कि वादी का दावा विधि वर्जित नहीं है बल्कि विधि अनुरूप है। सरकारी पैरोकार ने अपने प्रार्थना पत्र से बाहर जाकर तर्क प्रस्तुत किये है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

बहस में प्रस्तुत तर्को के संबंध में प्रार्थना पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया है, इत्यादि तर्को के आधार पर सरकारी पैरोकार का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने बहस पर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 को निर्णीत करते समय वाद पत्र के प्रकथनो को पढा जाना/ विचार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वादी ने दावा बाबत् खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88, 89, 92(क), 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर इस आशय का कथन किया कि- राजस्व ग्राम पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद में साबिक आराजी नम्बर 6702/3 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा करीम पिता जमाल नीलगर को अलॉट हुई थी। जिसका पृष्ठांकन जमाबन्दी में किया गया था, जिसके खाता संख्या 1107 है।

साबिक आराजी नम्बर 6702/3 के हाल आराजी नम्बर 7167 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा बंजड़, आराजी नम्बर 7189 रकबा 12 बिस्वा बंजड़ कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा बिलानाम काबिल कर दी गई है। इसी साबिक आराजी नम्बर 6702/3 के हाल आराजी नम्बर 9708/7167 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा बंजड़, 9701/7189 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा बनाये गये है। उक्त रकबा को प्रतिवादी संख्या 1 विमल सागर विद्यालय के नाम पर दर्ज कर दी गई है जो कानूनन गलत है।

साबिक आराजी नम्बर 6702/3 करीम पिता जमाल नीलगर के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी, करीम पिता जमाल नीलगर फौत हो चुके है। करीम पिता जमाल नीलगर का वादी पौत्र है। करीम पिता जमाल नीलगर के फौत होने के एश्चात वादी के पिता अल्लाबेली काबिज होकर काश्त कर रहा है। अल्लाबेली के फौत होने के पश्चात् वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

करीम पिता जमाल नीलगर को साबिक आराजी नम्बर 6702/3 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा अलॉट हुई थी। जिसका पृष्ठांकन खसरा गिरदावरी खसरा नम्बर 2019 के अनुसार जमाबन्दी संख्या 1107 के खातेदारी काश्तकारी के रूप में दर्ज थी लेकिन राजस्व अधिकारियो पटवारी व तहसीलदार ने मिलीभगत कर वादी के दादाजी के नाम पर दर्ज कृषि आराजी को दिनांक 04.03.1965 को बिलानाम दर्ज कर दिया है जो कानूनन गलत है। उक्त कार्यवाही विधि विरुद्ध है इसलिये राजस्व रेकार्ड की प्रविष्टी को दुरुस्त कर वादी के खातेदारों की घोषणा किया जाना आवश्यक है व प्रतिवादीगण को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

साबिक आराजी नम्बर 6702/3 कुल रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा में से हाल आराजी नम्बर 7167, 7189 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बघा 4 बिस्वा को बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कर दी व हाल आराजी नम्बर 9708/7167, 9710/7189 कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा को प्रतिवादी संख्या 1 विमल सागर विद्यालय के नाम पर दर्ज कर दी जो कि

12/7/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

कानूनन गलत है। इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त नम्बरान् की आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी के खाते में दर्ज किया जाना आवश्यक है।

करीम पिता जमाल नीलगर के नाम पर दर्ज कृषि आराजी के बिलानाम दर्ज करने से पूर्व कोई नोटिस सुनवाई हेतु व अपना पक्ष रखने हेतु नहीं दिया गया था, जबकि विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि प्रभावित पक्षकार को सुने बिना कोई भी आदेश नहीं किया जा सकता है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा जो कार्यवाही की गई है, विधिसम्मत नहीं होने से इन्द्राज दुरूस्त कर वादी के खातेदारी अधिकारो की घोषणा किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को अर्न्तगत धारा 80 सीआर.पी.सी. का नोटिस दिनांक 02.09.2015 को इस आशय का दिया गया था कि इन्द्राज को दुरूस्त कर वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे। लेकिन बावजूद नोटिस के कोई कार्यवाही नहीं हुई है व न ही इन्द्राज को दुरूस्त किया गया। इस कारण नोईयत वाद पत्र पेश करने की नौबत आई है।

मामला आवश्यक प्रकृति का है व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर कृषि आराजी दर्ज होने से खुर्दबुर्द करने पर आमादा है इसलिये दफा 80(2) सीआर.पी.सी. का अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर वाद पत्र पेश किया जा रहा है जिसे धारा सी.पी.सी. की पालना करने में छूट दिलाई जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वाद पत्र अन्दर अवधि पेश है व निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद पत्र की ताईद में वादी का शपथ पत्र पेश है। वाद पत्र निर्धारित दो प्रतियो में पेश है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाद पत्र वादी का स्वीकार फरमा कर निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे-

क- ग्राम पुर, पटवार हल्का पुर के साबिक आराजी नम्बर 67023, 7167, 7189, 9708/7167, 9710/7189 का इन्द्राज दुरूस्त कर वादी के खाते में दर्ज किये जाने की डिक्री फरमावे।

ख- ग्राम पुर, पटवार हल्का पुर के आराजी नम्बर 7167, 7189 साबिक आराजी नम्बर 6702/3 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है, जिसका इन्द्राज दुरूस्त कर वादी के खाते में दर्ज किये जावे व वादी के उक्त आराजी पर उपयोग उपभोग में प्रतिवादी दखल न करे, इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा भी पारित फरमावे।

स- इसी प्रकार से ग्राम पुर, पटवार हल्का पुर की आराजी नम्बर 9808/7167, 9710/7189 साबिक आराजी नम्बर 6702/3 जो प्रतिवादी संख्या 1 विमल सागर जैन विद्यालय के नाम पर दर्ज है, जिसका इन्द्राज दुरूस्त कर वादी के खाते में दर्ज करने की डिक्री फरमावे।

13/7/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

द- हर्जा खर्चा मय मेहनताना वकील वादी को प्रतिवादीगा से दिलाया जावे।

य- अन्य को वाद मुफिद प्रतिवादी से उचित हो दिलायी जावे।

वादीगण ने अपने वाद पत्र का सत्यापन किया तथा वाद पत्र की ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त प्रकरण में दिनांक 08.04.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये। दिनांक 07.12.2020 को साक्ष्य वादी पूर्ण हो जाने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई। दिनांक 30.04.2025 को प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से श्री अब्दुल कादिर एडवोकेट द्वारा अण्डरटेकिंग पेश की गई। जिनको वकालतनामा पेश करने की हिदायत दी गई। दिनांक 06.05.2025 को प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अण्डरटेकिंगकर्ता अभिभाषक द्वारा वकालतनामा पेश नहीं किया गया। अण्डरटेकिंग केवल एक ही पेशी के लिए मान्य होती है इसलिये अण्डरटेकिंग निष्प्रभावी हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये जाते है।

वादी के वाद पत्र में वर्णित तथ्यो व पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजो का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 425 दिनांक 16.05.1965 के जरिये खसरा नम्बर 6702/3 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा को बिलानाम (सिवायचक) में मन्जुरी लेने बाबत् खोला व स्वीकार किया गया था। उक्त नामान्तरकरण को वादी के पूर्वज/दादा करीम पिता जमाल नीलगर द्वारा एंव वादी स्वंय द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई। तत्पश्चात श्रीमान् जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा मिसल नम्बर 475/1973 में पारित आवंटन आदेश दिनांक 17.08.1971 द्वारा साबिक आराजी नम्बर 6702/3 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 विमल सागर जैन विद्यालय के नाम गैरकृषिक प्रयोजनार्थ विद्यालय हेतु आवंटित की गई जो राजस्व रिकार्ड में रूपान्तरित होकर विद्यालय के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त आवंटन आदेश को भी वादी व इनके पूर्वजो ने सक्षम न्यायालय में आवंटन नियमो के तहत चुनौती नहीं दी गई। तत्पश्चात खसरा नम्बर 9708/7167 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 9710/7189 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 7748 दिनांक 20.05.2016 मुताबिक आदेश से विमल सागर विद्यालय के स्थान पर संत श्री सुधा सागर दिगम्बर जैन पब्लिक स्कूल भीलवाड़ा आवंटी आवंटन आदेश दिनांक 19.08.1971 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा विद्यालय भवन हेतु दर्ज करने की मंजूरी दी गई जो जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 में दर्ज रिकार्ड है। उक्त आवंटन आदेश को भी वादी व उसके पूर्वजो ने सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी। आवंटन आदेश को आवंटन नियमो के तहत सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में आवंटन आदेश को चुनौती देने का कोई विधिक प्रावधान विधि में स्थापित नहीं है। आवंटन आदेश की उपस्थिति व प्रभावशीलता की स्थिति में वादी का वाद इस न्यायालय के समक्ष पोषणीय व संधारणीय नहीं है तथा वादी को आवंटन आदेशो के विरूद्ध आर0टी0एक्ट के अर्न्तगत वाद लाने का कोई वादहेतुक उत्पन्न नहीं हो सकता है। वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 से बाधित एंव प्रभावित है तथा विवादित भूमि में मौके पर विद्यालय का अस्तित्व प्रकट होता है। विद्यालय के अस्तित्व को मिटाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। वर्तमान राजस्व

13/7/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अभिलेखो में विवादित भूमि की किस्म कृषि प्रयोजनार्थ ''कृषि भूमि'' दर्ज रिकार्ड नहीं है। धारा 207 आर0टी0एक्ट के तहत तृतीय अनुसूची में दर्ज प्रकृति के वाद पत्र का ही राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। हस्तगत दावा तृतीय अनुसूची में सम्मिलित दावो की प्रकृति का नहीं होने के कारण क्षेत्राधिकार विहिन है। उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी का दावा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत विधि वर्जित है तथा धारा 151 सी0पी0सी0 में अर्न्तवलित शक्तियो का प्रयोग किये जाने की विधिक एंव न्यायिक मंशा भी है।

वादी के वाद पत्र का अवलोकन करने से प्रकट हुआ कि वादी ने अपने वाद पत्र में आवंटन से संबंधित तथ्य छुपाये है। वादी नीट एण्ड क्लीन हेण्ड से न्यायालय में नहीं आया है। सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त (1996)5 एस.सी.सी. पेज 589 बउनवानी Loundu Mari David & oth. V/s Louis Chinnay Arogiaswamy & oth. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 09.08.1996 पारित फरमाया कर यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि- Plantiff seeking equitable relief of specific performance should come before Court with clean hand- Division Bench of High Court finding that plaintiff-petitioner's case was based on certain false and incorrect facts. In other words the party who make false allegations dava not come with clean hands is not entitlled to the equitable relief.

वादी के वाद पत्र के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी का वाद तुच्छ व परेशान करने वाला है। सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त डी.एन.जे. 2017(1) पेज 1 अनन्तपाल बनाम सुमेरसिंह में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पर दी गई व्यवस्था पर बल दिया कि शीर्षक प्रकरण में तथ्य एंव विधि का कोई प्रश्न समाहित नहीं है इसलिये वादीगण का **वाद तुच्छ एंव परेशान करने वाला है**। इस प्रकार के वाद को प्रारम्भ से ही दबा देना चाहिये।

अतएव उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर एंव न्यायिक दृष्टान्तो में प्रतिपादित सिद्धान्तो के आधार पर वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत विधि वर्जित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पक्षकारान् खर्चा अपना-अपना वहन करे। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 15/7/25 को सरे इजलास में सुनाया गया।

15/7/25

अरुण कुमार जैन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः- अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्याः- 65/20215
जीसीएमएस नम्बर :-2015/

अनवर हुसैन पिता अलाबैली नीलगर, उम्र वयस्क, निवासी लीगरों की मस्जिद के पास, बाहुला, भीलवाड़ा, राजस्थान।

--वादी

-: बनाम :-

1. विमल सागर जैन विद्यालय, पुर रोड़, भीलवाड़ा, राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, भीलवाड़ा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा
4. सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा।

---प्रतिवादीगण

वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती, खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 89, 88, 92(क), 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रूबरू दावा व हाजिरी मेहराज अली मिनजानिब मुद्धई रूबरू पेशोकार सरकार मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत विधि वर्जित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पक्षकारान् खर्चा अपना-अपना वहन करे।

निज------ मुबलिग-------- बाबत् ------- खर्चा इस मुकदमा के मय सूद बशरह-------फीसदी सालाना/आज की तारीख से तारीख अदागी तक ---------- को अदा करे।

तब मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज दिनांक 15/7/25 को जारी की गई।

15/7/25

अरूण कुमार जैन
सहायक कलक्टर
आर.ए.एस.
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

मुद्दई					
स्टाम्प अर्जीदावा	रूपया	पैसे	मुद्धायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प वकालतनामा	—	—	स्टाम्प अर्जीदावा	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	स्टाम्प वकालतनामा	—	—
महनताना वकील	—	—	स्टाम्प वजह सबूत	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	महनताना वकील	—	—
फीस कमिशनर बाबत् इजराय	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
हुक्मनामा	—	—	फीस कमिशनर बाबत् इजराय	—	—
मुतफरिक	—	—	हुक्मनामा	—	—
मीजान	—	—	मुतफरिक	—	—
			मीजान	—	—

15/7/25

अरूण कुमार जैन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर,
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा